मत्स्य फसल बीमा योजना

दिनांक – 03.06.2022

By-**Dilip kr Singh**
Joint Director Fisheries (**SPU**)
Directorate of Fisheries Bihar, Patna.

मुख्य उद्देश्य

- मत्स्य पालकों/मछुओं को होने वाले क्षति की पूर्ति हेतु राहत दिलाना।

- मछुआ/मत्स्य पालक लाभान्वित होंगे एवं वित्त पोषण संस्थाएँ (बैंक आदि) भी मत्स्य प्रक्षेत्र में वित्त पोषण के लिए प्रेरित होंगे।

संक्षिप्त विवरणी

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में तालाब मात्स्यिकी से मत्स्य–उत्पादन, नर्सरी/रियरिंग तालाब प्रबंधन से मत्स्य बीज (फ्राई/फिंगरलिंग) उत्पादन तथा कार्प हैचरी संचालन के लिए "मत्स्य प्रजनक" (ब्रुडर) हेतु **"मत्स्य–फसल बीमा योजना"** मो0 95.01 (पंचानवे लाख एक हजार) लाख के व्यय पर क्रियान्वयन की स्वीकृति।
- बीमा प्रीमियम के भुगतान पर मो0 93.15 (तिरानवे लाख पंद्रह हजार) लाख अनुदान व्यय तथा प्रशासनिक व्यय पर मो0 1.86 (एक लाख छियासी हजार) लाख अर्थात् कुल 95.01 (पंचानवे लाख एक हजार) लाख राशि व्यय का प्रस्ताव है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के तहत् 500 हे0 जलक्षेत्र में तालाब मात्स्यिकी से मत्स्य उत्पादन, 50 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन तथा 50 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य प्रजनक (ब्रुडर) उत्पादन को अच्छादित किया जाएगा।

मुख्यतः तीन अवयवों को बीमा से अच्छादित किया जाएगा

- तालाब मात्स्यिकी से मत्स्य उत्पादन।
- नर्सरी/रियरिंग तालाब प्रबंधन से मत्स्य बीज (फ्राई/फिंगरलिंग) का उत्पादन।
- कार्प हैचरी संचालन हेतु मत्स्य प्रजनकों (ब्रुडर) का उत्पादन।

लाभुक का चयन

- विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् निर्धारित समय सीमा के अन्दर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएगें।
- एक आवेदक निजी अथवा पट्टे पर ली गई तालाब में एक या एक से अधिक अवयवों के लिए आवेदन अलग–अलग कर सकेंगे, परन्तु अधिकतम 02 हे0 जलक्षेत्र तक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा।
- लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर मत्स्य प्रशिक्षण, मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुभव एवं स्वलागत से शेष प्रीमियम का भुगतान आदि को करनेवाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयनित अवयववार लाभुको की सूची बीमा कंपनी को भेजी जाएगी । साथ ही संबंधित लाभुको को उनके प्रीमियम राशि का अंशदान बीमा कंपनी को जमा किए जाने हेतु सूचित किया जाएगा। बीमा कंपनी को प्रीमियम अंशदान जमा करने वाले लाभुको की सूची के साथ देय अनुदान की राशि जमा किए जाने हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी को बीमा कंपनी द्वारा अनुरोध किया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि जमा होने के पश्चात बीमा कंपनी के द्वारा लाभुक के नाम से बीमा प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक बीमा वैद्य होगा।

अनुदान

- अवयव विशेष हेतु निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत राशि अनुदान देय होगा।

- शेष राशि लाभुक के द्वारा स्वयं/बैंक ऋण से वहन किया जाएगा।

योजना का कार्यान्वयन

- मत्स्य निदेशालय, पटना के द्वारा चयनित नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 के द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया है।

- प्रचार प्रसार समाचार पत्रों/दूरदर्शन/आकाशवाणी /जन–जागरूकता अभियान/पम्पलेट/ बुकलेट/पोस्टर आदि का मुद्रण तथा कार्यशाला के माध्यम से किया जाएगा।

- तत्काल एक वर्ष के लिए लागू किया जाएगा अर्थात् बीमा कम्पनी से किये जाने वाले एकरारनामा की तिथि से अगले एक वर्ष के अन्दर बीमित फसल को यह लाभ प्राप्त होगा। समीक्षोपरान्त इसे विस्तारित करने पर निर्णय लिया जाएगा। लाभुक द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान करने के पश्चात् बीमा पॉलिसी सक्रिय/चालू हो जाएगा और अगले एक वर्ष तक वैध रहेगा।

- बीमित लाभुक को कंपनी द्वारा बीमा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा जिसमें बीमा संबंधित सभी विवरणी अंकित रहेंगे। किसी कारणवश लाभुक का बीमा प्रमाण–पत्र खो/क्षति हो जाता है तो क्षति अवांछित साक्ष्य के साथ आवेदन जिला मत्स्य पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर बीमा कंपनी को दिये जाने पर बीमा कंपनी द्वारा लाभुक को द्वितीय प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा।

मत्स्य फसल बीमा योजना के तहत् अच्छादन

- मत्स्य पालक/मछुआ/मत्स्य बीज उत्पादक आदि अच्छादित होंगे जो तालाब मात्स्यिकी से मत्स्य–उत्पादन, नर्सरी/रियरिंग तालाब प्रबंधन से मत्स्य बीज (फ्राई/फिंगरलिंग) उत्पादन तथा कार्प हैचरी संचालन के लिए "मत्स्य प्रजनक" (ब्रुडर) का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे मत्स्य पालकों को प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आँधी, अत्यधिक तापमान आदि, जोखिम यथा मछलियों में रोग, महामारी, जहर से मृत्यु, प्रदूषण, विस्फोटक, हवाई जहाज/रोड वाहन द्वारा तालाब/मछलियों को होने वाले नुकसान/क्षति आदि योजनान्तर्गत अच्छादित होगें।
- क्षति का आंकलन न्यूनतम 80 प्रतिशत होने पर ही बीमा दावा आवेदन योग्य मान्य होगा।
- मछलियों, तालाब अथवा उपर्युक्त अन्य क्षति का आंकलन अगर शत्–प्रतिशत होता है तो भी बीमा कंपनी नियमानुसार कुल बीमित राशि का 80 प्रतिशत दावा भुगतान हेतु मान्य होगा।

बीमा दावा हेतु अन–अच्छादित के कारण

- बीमित फसल के लाभुक, उनके परिवार के सदस्य अथवा उनके कर्मचारी द्वारा मत्स्य बीजों, मछलियों, तालाबों या आधारभूत संरचना को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना, सुरक्षा को नजरअंदाज करना, जहर का उपयोग करना, मछलियों को चोट पहुँचाना आदि कारणों से होने वाले क्षति बीमा दावा योग्य मान्य नहीं होगा।
- उपरोक्त क्षति 80 प्रतिशत से कम होने पर बीमा दावा योग्य मान्य नहीं होगा।
- मत्स्य बीज/मछलियों की चोरी के कारण होने वाले क्षति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- मत्स्य बीज/मत्स्यों में असमान वृद्धि अथवा उनके समान मृत्यु की स्थिति में होने वाले क्षति हेतु बीमा दावा मान्य होगा।
- प्रीडेटर, शत्रु/खाउ मछलियों, खतरनाक कीड़े–मकौड़े, प्लैंकटन, मौलस्क आदि के कारण होने वाले क्षति हेतु बीमा दावा मान्य नहीं होगा।
- जल के भौतिक अथवा रासायनिक गुण यथा पी0एच0 फैक्टर आदि के बदलाव अथवा तालाब में जल का स्तर अत्यधिक कम होने, तालाबों में सफाई अथवा जल परिवर्तन से होने वाले क्षति के कारण होने वाले क्षति का बीमा दावा मान्य नहीं होगा।
- युद्ध छिड़ जाने, न्यूक्लियर हथियार के उपयोग का दुष्प्रभाव आदि से होने वाले क्षति बीमा दावा योग्य मान्य नहीं होगा।
- बीमा आरंभ होने के 15 दिनों के अंदर रोग/महामारी/जहर से होने वाले क्षति, बीमा दावा योग्य नहीं होगा।

बीमा दावा हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- मछलियों के मृत्यु/क्षति होने पर घटना की सूचना लाभुक द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर ई–मेल, फोन, एस0एम0एस0 द्वारा घटना–स्थल का फोटोग्राफ एवं बीमा प्रमाण–पत्र के साथ करना होगा।
- लाभुक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधी द्वारा घटना–स्थल का जाँच कर क्षति का आंकलन करते हुए जानकारी बीमा कंपनी को अपने स्तर से 48 घंटे के अंदर ई–मेल, फोन, एस0एम0एस0 द्वारा घटना–स्थल का फोटोग्राफ एवं बीमा प्रमाण–पत्र के साथ करेंगे।
- लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन सभी वांछित कागजातों यथा बीमा प्रमाण पत्र, जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा क्षति का आंकलन प्रमाण–पत्र के साथ जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा।
- लाभुक द्वारा प्राप्त बीमा दावा के साथ संलग्न सभी वांछित कागजातों के जाँचोंपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी बीमा दावा को एक सप्ताह के अंदर बीमा कंपनी को दावा निष्पादन हेतु भेजेंगे।
- वांछित सभी कागजातो के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा भेजे गए बीमा दावा को 15 दिनों के अंदर बीमा कंपनी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- दावा का निष्पादन चयनित बीमा कम्पनी एवं निदेशक मत्स्य द्वारा हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा। अर्थात् दावा हेतु क्षति का आकलन संलग्न अवयववार संभावित मासिक जैवभार (ठपवउें) के मूल्यांकण का 80 प्रतिशत ही मान्य होगा।

संलग्न कागजात

- तालाब का भू–स्वामित्त्व प्रमाण–पत्र/09 वर्ष का लीज एकरारनामा।
- दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- चयनित अवयव के साथ आवेदक का फोटो जिससे निवेदक चिन्ह् स्पष्ट हो।
- मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र/मत्स्य प्रक्षेत्रों में अनुभव का विवरणी।
- स्वलागत/बैंक से शेष प्रीमियम का भुगतान करने संबंधी शपथ–पत्र।

बीमा वार्षिक प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि

क्र0	अवयव का नाम	नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि0	
		वार्षिक प्रीमियम राशि (हे0)	दावा हेतु बीमित राशि (हे0)
1.	Insurance Policy of Pond fish production (Growth assessment production for 09 months) for one yrs	Rs 20700.00+GST	Unit Cost for 01 hectare is Rs 2.76 lakh
2.	Insurance Policy of Nursery Pond (Spawn to fry & fry to fingerling production for 90 days as per growth assessments) for one year	Rs 52500.00+GST	Unit Cost for 01 hectare is Rs 7.00 lakh
3.	Insurance Policy of 04 years brooder fish pond management for 01 year	Rs 56250.00+GST	Unit Cost for 01 hectare is Rs 7.50 lakh

चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत मत्स्य पालन, नर्सरी/रियरिंग तालाब का प्रबंधन तथा मत्स्य प्रजनक के प्रबंधन हेतु मत्स्य फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	,शीर्ष का नाम	अवयव	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	प्रीमीयम/हेक्टयेर +18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कुल प्रीमीयम राशि	50 प्रतिशत अनुदान राशि	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी	कोषागार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2405–मछली पालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–0102 –मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान, विपत्र कोड 02–2405001010102 के तहत विषय शीर्ष– 0102.33.01–सब्सिडी मद	मत्स्य पालन हेतु फसल बीमा	500	0.24426	122.13	61.07	निदेशक मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार (सभी)
		नर्सरी/रियरिंग तालाब के प्रबंधन हेतु फसल बीमा	50	0.6195	30.98	15.49		
		मत्स्य प्रजनक (ब्रुडर) के तालाब प्रबंधन हेतु फसल बीमा	50	0.66375	33.19	16.59		
		कुल :–	**600**	**1.52751**	**186.29**	**93.15**		
	0102.13.01–कार्यालय व्यय मद	प्रशासनिक व्यय (2%)				1.86		
कुल :					186.29	95.01		

योजना का संक्षिप्त विवरणी

- मत्स्य फसल बीमा योजना के तहत् मुख्यतः तीन अवयवों को बीमा से अच्छादित किया जाएगा।
- **(क) तालाब मात्स्यिकी से मत्स्य उत्पादन।**
- **(ख) नर्सरी/रियरिंग तालाब प्रबंधन से मत्स्य बीज (फ्राई/फिंगरलिंग) का उत्पादन।**
- **(ग) कार्प हैचरी संचालन हेतु मत्स्य प्रजनकों (ब्रुडर) का उत्पादन।**
- उपर्युक्त तीनों अवयवों से संबंधित तालाब में मासिक संभावित जैवभार ;इपवउेंद्ध एवं अनुमानित मूल्य तालिका संलग्न विवरणी पर आंकलित हैः—

Table-A

Age	Survival Rate	Stocking Period	Value of Fish(Rs.)	Insured amount Per Acre(Rs.)	Insured Amount Per Hect(Rs.).
2nd Day to 30 Day	20%	1st month	25/100	100000	2,50,000
31st to 60 Day	50%	2nd	100/100	2,00,000	5,00,000
61 to 90 Day	70%	3rd	200/100	2,80,000	7,00,000

*Valuation table for Fry to Fingerlings.

Stocking = spawn@ 50 lakh /ha. Survival=10 Lakh Early Fry

Stocking=Early Fry to Early Fingerling Fry@ 10 Lak/ha. Survival 5 Lakh Early fingerling.

Stocking=Early Fingerling@5 lakh /ha. Survival=3.5 Lakh Advance Fingerling

Table : B **Valuation Table for Fingerling to Fish**

Stages of culture stock pond	Stocking per acre (In Nos.)	Progressive Weight of fish (ABW) (in gram)	Total Biomass of pond (In kg)	Progressive Input cost (In Rs)	Value of Fish per acre (In Rs)	Value of Fish per Ha (In Rs)
1	2	3	4	5	6	7
Day of Stocking	2000	10	20	7968	7968	19921
1st Fort Night	1975	23	46	1115	9082	22705
2nd Fort Night	1951	42	82	1302	10271	25678
3rd Fort Night	1927	67	128	1519	11907	29767
4th Fort Night	1903	93	177	1774	13689	34221
5th Fort Night	1880	125	234	2071	15955	39887
6th Fort Night	1857	162	301	2417	18699	46746
7th Fort Night	1834	204	375	2822	21962	54906
8th Fort Night	1811	248	449	3294	25436	63590
9th Fort Night	1789	293	524	3845	29048	72620
10th Fort Night	1767	339	600	4489	33109	82772
11th Fort Night	1745	389	678	5240	37725	94313
12th Fort Night	1724	441	760	6117	43918	109796
13th Fort Night	1703	498	848	7141	50723	126808
14th Fort Night	1682	563	946	8337	58201	145503
15th Fort Night	1661	634	1053	9732	67419	168549
16th Fort Night	1641	714	1171	11361	80451	201127
17th Fort Night	1620	803	1301	13262	94373	235934
18th Fort Night	1600	901	1442	15482	109272	273181

Tabel –C Valuation Tabel for Brooders

SI	Period	Fish stock (kg.)	Value	Value per Acre.(Rs.)	Value per Ha.(Rs.)
1	1st Year Stock	3000/ ha.	150/ kg	1,80,000	4,50,000
2	2nd Year Stock	3000/ ha.	175/kg	2,10,000	5,25,000
3	3rd Year Stock	3000/ ha.	200/kg	2,40 ,000	6,00,000
4	4th Year Stock	3000/ ha.	250/kg	2,80,000	7,50,000

इसी तालिका के अनुसार घटना के समय मछली/बीज/ब्रुडर का आंकलन किया जा सकेगा। उक्त अवयव विशेष हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

राज्य मात्स्यिकी में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर

मात्स्यिकी आभार